दिनांक 15.06.2020 को सचिव उद्योग की अध्यक्षता में सर्वश्री भारी अभियन्त्रण निगम लि0, धुर्वा, राँची पर राज्य सरकार के विभागों एवं कम्पनियों के लंबित राशि के समायोजन/भुगतान पर विचार विमर्श निमित्त बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति:– पंजीनुसार

–: <u>कार्यवाही</u> :–

सर्वश्री भारी अभियन्त्रण निगम लि0, धुर्वा, राँची पर विभिन्न विभागों के बकाया संबंधी विभिन्न विभागो/कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ आहुत बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:–

1. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0,धुर्वा, राँची के प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 31.05.2020 तक रू0 89.13 करोड़ के बकाये से अवगत कराया गया। इस संदर्भ में निर्णय लिया गया कि रू0 80.00 करोड़ का भुगतान अविलम्ब एच0 ई0सी0 के द्वारा झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0,धुर्वा, राँची को किया जाय। अन्य देनदारी हेतु एक सप्ताह के अन्दर (दिनांक 21.06.2020 तक) मामला झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0, धुर्वा, राँची एवं HEC को reconcile करने का सुझाव दिया गया।

   उक्त के अतिरिक्त झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0,धुर्वा, राँची के प्रतिनिधि को एच0ई0सी0 के वौल्टेज रिबेट से संबंधित मामले के निष्पादन पर शीघ्र कार्रवाई करते हुए इनके प्रस्ताव को बोर्ड के निदेशक मण्डल में निर्णय लेने का सुझाव दिया गया।

2. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,झारखण्ड,राँची के प्रतिनिधि द्वारा बताया कि सर्वश्री भारी अभियन्त्रण निगम लि0, धुर्वा, राँची पर दिनांक 31.05.2020 तक कुल देय राशि रू0 52,22,71,716.00 का बकाया है। सर्वश्री भारी अभियन्त्रण निगम लि0, धुर्वा, राँची के साथ संयुक्त रूप से मिलकर दिनांक 22.06.2020 से 29.06.2020 तक मामले को reconcile / निष्पादित करने का सुझाव दिया गया।

3. वाणिज्यकर विभाग,झारखण्ड,राँची के प्रतिनिधि द्वारा पत्रांक 945 दिनांक 30.04.2020 के अनुसार वर्ष 2015–16 का वैट मद में सर्वश्री भारी अभियन्त्रण निगम लि0, धुर्वा, राँची पर राशि रू0 1,04,71,795.00 के बकाया से अवगत कराया गया है। जिसे सर्वश्री भारी अभियन्त्रण निगम लि0, धुर्वा, राँची के प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया है एवं भुगतान हेतु अविलम्ब कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया है।

4. नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के उप सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि राँची नगर निगम का हॉल्डिंग टैक्स मद में रू0 10.89 करोड़ सर्वश्री भारी अभियन्त्रण निगम लि0, धुर्वा, राँची पर बकाया है एवं इस संदर्भ में मामला सूडा में अपील किया गया है। इसका निष्पादन शीघ्र कराया जाय।

5. सहकारिता विभाग/श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के बकाये के संबंध में एच0ई0सी0 के प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया कि संबंधित विभाग से सम्पर्क स्थापित कर बकाया संबंधी राशि का भुगतान हेतु दिनांक 29.06.2020 तक कार्रवाई करें।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त मामले के निष्पादन के पश्चात माह जुलाई, 2020 के प्रथम सप्ताह में पुनः बैठक आयोजित किया जायेगा।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई। ह0/–

सरकार के सचिव
उद्योग विभाग

झारखण्ड सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 1018 /रांची, दिनांक 17.06.2020
06/उ0नि0/एच0ई0सी0/भूमि हस्तांतरण कमिटी का गठन–41/2012

प्रतिलिपिः–, उर्जा विभाग, झारखंड,राँची /नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड,राँची/ वाणिज्यकर विभाग, झारखंड, राँची/ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, राँची/ राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड,राँची / प्रबंध निदेशक,झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0,धुर्वा राँची/अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,सर्वश्री एच0ई0सी0लि0,धुर्वा,राँची को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, उद्योग